"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2023 — अश्विन 24, शक 1945

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

अधिसूचना

क्रमांक 106 / सीएसईआरसी / 2023.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 सहपठित धारा 42, 61, 66, 86 के तहत निहित शक्तियों तथा इसनिमित्त इसके समर्थकारी अन्य सभी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितिरत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 (इसमें इसके पश्चात् सीएसईआरसी डीआरई विनियम 2019 या मूल विनियम के रूप में निर्दिष्ट है) बनाया गया, तथा राज्य में वितिरत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्बंधनों और शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए इसका पहला, संशोधन किया गया।

मूल विनियमों और इसके बाद के संशोधनों के अनुसरण में, आयोग, एतद्द्वारा, मूल विनियमों में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है।

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
- 1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिंड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 कहलायेंगे।
- 1.2 ये विनियम, 01 सितंबर, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनियम 2 में, नवीन परिभाषा ग)(क) : परिभाषाएँ और व्याख्याएँ मूल विनियमों की परिभाषा 2.1(ग) के पश्चात्, नवीन परिभाषा ग)(क) जोड़ा जाए, अर्थात्: —
 - ग)(क) "बैंकिंग चक्र" वित्तीय वर्ष के समान होगा।
- 3. विनियम 2 में, नवीन परिभाषा ज)(क) : परिभाषाएँ और व्याख्याएँ मूल विनियमों की परिभाषा 2.1(ज) के पश्चात्, नवीन परिभाषा ज)(क) जोड़ा जाए, अर्थातः
 - ज)(क) "हरित ऊर्जा" से अभिप्रेत है हाइड्रो और भंडारण (यदि भंडारण में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है) या किसी अन्य प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्नोतों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये तथा इसमें, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के नियम 4 के उप—नियम (2) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन

सहित जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई तंत्र सम्मिलित है।

4. विनियम ७ में, नवीन उप-विनियम ७.3

मूल विनियमों के विनियम 7 में, नवीन उप-विनियम 7.3 जोड़ा जाए, अर्थात् :--

7.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित इकाई के नवीकरणीय क्रय बाध्यता से परे उनके अनुरोध पर क्रमशः उपभोक्ताओं, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई हरित ऊर्जा के लिए, वार्षिक आधार पर हरित प्रमाणपत्र देगा।

5. विनियम ७ में, नवीन उप-विनियम ७.4

मूल विनियमों के विनियम 7 में, नवीन उप-विनियम 7.4 जोड़ा जाए, अर्थात्:-

7.4 कैप्टिव उपयोगकर्ता(उपयोगकर्ताओ) को छोड़कर कोई भी उपभोक्ता, जिसकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खण्ड में स्थित सिंगल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक है या बहुविध कनेक्शनों के माध्यम से 100 किलोवाट या उससे अधिक है चाहे वह बाध्य हो या नहीं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अध्यपेक्षा (मांग) करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, क्रय और उपभोग करने का विकल्प चून सकता है।

विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी संहिता या विनियमों में निहित होते हुए भी, 500 कि.वॉ. तक स्थापित क्षमता के सौर उर्जा उत्पादन संयंत्रों को समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर और आर.टी.यू, मुख्य और चैक ए.बी.टी. मीटर की स्थापना की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, कुसुम योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी सौर उर्जा उत्पादन संयंत्र 11 कि.वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज पर 2000 कि.वॉ. तक स्थापित कर सकते हैं और ऐसे सौर उर्जा संयंत्रों को समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर कनेक्टिविटी और आर.टी.यू, मुख्य और चैक ए.बी.टी. मीटर की स्थापना की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(क) कैप्टिव उपभोक्ता को छोड़कर उपरोक्त अनुच्छेद 7.4 मे निर्दिष्ट, कोई भी उपभोक्ता, चाहे वह बाध्य हो या नहीं, या तो खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक या इसकी संपूर्ण खपत तक, हरित ऊर्जा क्रय करने का चयन कर सकता है और वे, इसके लिए अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास एक अध्यपेक्षा (मांग) रख सकते हैं, जो इतनी मात्रा में हरित ऊर्जा क्रय करेगा और इसकी आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता को, सौर और गैर–सौर के लिए अलग–अलग अध्यपेक्षा (मांग) देने की छूट होगी।

(ख) कैप्टिव उपभोक्ता को छोड़कर उपरोक्त अनुच्छेद 7.4 में निर्दिष्ट उपभोक्ता, स्वैच्छिक आधार पर अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय कर सकता है, जितना वह करने के लिए बाध्य है, और कार्यान्वयन में आसानी के लिए, यह पच्चीस प्रतिशत के चरणों में हो सकता है और सौ प्रतिशत तक जा सकता है।

- (ग) हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ, आयोग द्वारा पृथक से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूलित बिजली क्रय लागत, क्रॉस—सब्सिडी शुल्क, यदि कोई हो, और हरित ऊर्जा प्रदान करने हेतु वितरण अनुज्ञिष्तिधारी की विवेकपूर्ण लागत को कवर करने वाले सेवा शुल्क शामिल होंगे।
- (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा की कोई भी अध्यपेक्षा (मांग), न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- (ड.) हरित ऊर्जा की मात्रा, कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्व-निर्दिष्ट होगी।
- (च) किसी भी वित्तीय वर्ष में वितरण अनुज्ञप्तिधारी से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बाध्य इकाई के नवीकरणीय खरीद दायित्व से अधिक्य क्रय की गई हरित ऊर्जा को बाध्य इकाई द्वारा आगामी वर्ष के क्रय दायित्व के पालन हेतु विचार किया जायेगा।

6. विनियम 18 के 18.2 के उप-विनियम (क) के प्रथम परंतुक का प्रतिस्थापन

सीएसईआरसी डीआरई विनियम (पहला संशोधन) 2021 के विनियम 18.2 के उप–विनियम (क) के प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : –

परंतु यह कि इस व्यवस्था के तहत 31 अगस्त, 2023 तक स्थापित की जाने वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार, 500 किलोवाट होगा। इसके अलावा, इस तरह की दूरस्थ स्थित वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अधिकतम आकार, जो अपने कैप्टिव भार या खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की व्हीलिंग / ट्रांसिमशन की मांग करता है, जिसे इस व्यवस्था के तहत स्थापित किया गया है, यथास्थिति, अनुबंधित मांग का ढाई गुना (2.5 गुना) अथवा अनुज्ञप्तिधारी से वांछित खुली पहुंच मात्रा होगी।

इस व्यवस्था के तहत आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो) के लिए वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का न्यूनतम आकार, 100 किलोवाट या तो किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत खण्ड में स्थित सिंगल कनेक्शन के माध्यम से या बहुविध कनेक्शनों के माध्यम से 100 किलोवाट होगा । इसके अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की संस्थापन के लिए, इसके कैप्टिव उपयोग या खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की व्हीलिंग / ट्रांसिमशन की कोई क्षमता सीमा नहीं होगी।

7. प्रथम संशोधन विनियम के विनियम 21 का प्रतिस्थापन

सीएसईआरसी डीआरई विनियम (पहला संशोधन) 2021 के विनियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्ः –

21. खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) के लिए बैंकिंग और शुल्क (प्रभार), उद्ग्रहित किया जाना

	प्रभार (शुल्क)	आईडीआरईएस परियोजनाएं	आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)
21.1	ट्रांसमिशन (पारेषण) शुल्क	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	ट्रांसिमशन (पारेषण) शुल्क, समय–समय पर लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
21.2	व्हीलिंग शुल्क	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	व्हीलिंग शुल्क, समय—समय पर लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
21.3	क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज	आईडीआरईएस परियोजनाओं के संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शून्य।	जैसा कि समय—समय पर लागू टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र से, हरित ऊर्जा खरीदने वाले हरित ऊर्जा खुली पहुंच वाले उपभोक्ता को, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन संयंत्र के संचालन की तारीख से 12 वर्षों के दौरान वृद्धि नहीं की जाएगी।
21.4	एसएलडीसी की फीस और प्रभार (शुल्क)		जैसा कि समय-समय पर लागू
21.5	स्टैंडबाय शुल्क	निर्दिष्ट है।	टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट उपभोक्ता टैरिफ श्रेणी पर लागू ऊर्जा शुल्क का 125 प्रतिशत।
21.6	बैंकिंग और बैंकिंग प्रभार (शुल्क)	एक. बैंकिंग सुविधा, परियोजना की उपयोगी जीवन अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी। दो. आंतरिक सहायक आवश्यकता (इन–हाउस ऑक्जिलरी रिक्वायरमेंट)	एक. बैंकिंग सुविधा, परियोजना की उपयोगी जीवन अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी। दों सभी कैप्टिव और ओपन एक्सेस खपत के लिये अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति

प्रभार (शुल्क)	आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो।	तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)
	के साथ उत्पादन को निवल (नेट) करने के बाद, 100 प्रतिशत ऊर्जा अंतःक्षेपण की बैंकिंग को, सभी कैप्टिव और खुली पहुंच खपत के लिए अनुमति दी जाएगी।	के लिये प्रभारो के भुगतान पर मासिक आधार पर बैंकिंग की अनुमित दी जा सकेगी। हिरत उर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा एकत्रित उर्जा की अनुमत मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्ति धारी से विद्युत की कुल मासिक खपत की कम से कम तीस प्रतिशत होगी। परंतु संगृहीत उर्जा के केंडिट को पश्चातवर्ती संग्रहण चकों मे आगो ले जाने की अनुमित नहीं दी जाएगी ओर इसे उसी संग्रहण चक्र के दौरान समायोजित किया जाएगा।
	तीन. बैंक ऊर्जा के 2 प्रतिशत की दर से बैंकिंग शुल्क, वस्तु रूप में (इन काइन्ड) देय होगा। बैंकिंग वर्ष, अप्रैल से मार्च तक होगा।	दर से बैंकिंग शुल्क, वस्तु रूप में (इन काइन्ड) देय
		टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) और ऑफ-पीक लोड अवधि (रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक या लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) के दौरान भुनाई गई बैंक इकाइयों पर, कोई निकासी शुल्क नहीं होगा। शाम की पीक लोड अवधि (शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक या लागू टैरिफ

प्रभार (शुल्क)	आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो।	आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)
	लागू टैरिफ आदेश में यथा निर्दिष्ट) के दौरान भुनाई गई बैंक ऊर्जा पर, अधिकतम निकासी शुल्क लगेगा, जो पीक लोड घंटों के दौरान आहरित ऊर्जा का 30 प्रतिशत होगा।	लगेगा, जो पीक लोड घंटों के दौरान आहरित ऊर्जा का
	C13345 Activity	तक ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा को, डीम्ड ऊर्जा बैंक माना जाएगा। इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए, सिंक्रनाइजेशन की तारीख को, वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) के रूप में
		को व्यपगत माना जाएगा और ऊर्जा उत्पादन केन्द्र, व्यपगत ऊर्जा की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र

	प्रभार (शुल्क)	आईडीआरईएस परियोजन अथवा 27.12.2023 तक सीओ प्राप्त करने वाली परियोजना जो भी पूर्वत्तर हो।	तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)
		गए प्रतिस्पर्धी बोली माध्यम से सबसे क टैरिफ पर विचार कि जाएगा। सात. वितरण अनुज्ञप्तिधारी क विक्रय के लि सिंक्रनाइजेशन की तारी से वाणिज्यिक संचाल की तारीख (सीओडी) त ग्रिंड में अंतःक्षेपित ऊप को, वितरण अनुज्ञप्तिधा के साथ पीपीए प्रावधानों के अनुसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वा परियोजना के पहले क के टैरिफ पर खरी जाएगी।	में या होते सात. वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ए, विक्रय के लिए, ख सिंक्रनाइजेशन की तारीख से ल वाणिज्यिक संचालन की क तारीख (सीओडी) तक ग्रिड र्जा में अंतःक्षेपित ऊर्जा को, री वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ के पीपीए के प्रावधानों के र, अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना वर्ष के पहले वर्ष के टैरिफ पर
21.7	विचलन निपटान प्रभार (शुल्क)	एक. सभी सौर ऊर् परियोजनाओं को, अनिव रूप से चलने का दर दिया जाएगा अर्थात् सं ऊर्जा परियोजनाओं अंतःक्षेपण को, अनुसूचि माना जाएगा। दो. विद्युत अधिनियम, 20	र्वायं को, अनिवार्य रूप से चलने र्जा का दर्जा दिया जाएगा अर्थात् रोर सौर ऊर्जा परियोजनाओं से से अंतःक्षेपण को, अनुसूचित माना जाएगा।
		के तहत बनाए गए कि भी विनियमन में अंतर्वि किसी भी बात के होते ह् भी, सभी आईडीआरईए परियोजनाएं, वाणिज्यि उद्देश्य के लिए शेड्यूलि और विचलन निपटान अध्यधीन नहीं होंगी तथापि, ग्रिड संचालन लिए शेड्यूलिंग ल	तहत बनाए गए किसी भी ख्ट विनियमन में अंतर्विष्ट किसी कुए भी बात के होते हुए भी, सभी आईडीआरईएस परियोजनाएं, क वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए शेड्यूलिंग और विचलन के निपटान के अध्यधीन नहीं होंगी। तथापि, ग्रिड संचालन के लिए शेड्यूलिंग लागू

	प्रभार (शुल्क)	आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी	आगामी आईडीआरईएस परियोजनाएं (सिवाय इसके कि, पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाओं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो)
		होगी।	
21.8	अतिरिक्त सरचार्ज	निरंक।	यदि ऐसे उपभोक्ता द्वारा नियत प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है, तो हरित उर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के लिये अतिरिक्त अधिभार लागु नहीं होगा।

- 21.9 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी सौर क्षमता वृद्धि की निगरानी और प्रदर्शन के लिये नोडल एजेंसी होगी। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करेगी। सौर परीयोजनाओं की क्षमता वृद्धि की स्थिति पाक्षिक रूप से अद्यतन की जायेगी।
- 21.10 पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो, के लिये ये प्रावधान 01 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाले बिलिंग चक के लिये लागू होंगे।
- 21.11 याचिका कमांक 61/2020 में जारी आदेश दिनांक 18.04.2022 का पहले 500 मेगावाट के लिए आईडीआरईएस परियोजनाएं अथवा 27.12.2023 तक सीओडी प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, जो भी पूर्वत्तर हो, पर लागू होगा।
- टीप:— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेश से

हस्ता. / —

(एस.पी.शुक्ला) सचिव.

Raipur, the 6th October 2023

NOTIFICATION

No. 106/CSERC/2023.— In exercise of powers vested under Section 42, 61, 66, 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 (henceforth, CSERC DRE Regulations 2019 or the Principal Regulations) and its first amendment for specifying the terms and conditions for distributed solar power projects in the State.

In pursuance of the Principal Regulations and its subsequent amendment, the Commission hereby makes the following regulations to amend the Principal Regulations.

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These Regulations shall be called Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Sources) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- 1.2 These Regulations shall come into force from September 01, 2023.

2. New definition c(a) for regulation 2: Definitions & Interpretations

New definition c)(a) shall be added after definition 2.1(c) of the Principal regulations, namely:-

c)(a) "Banking Cycle" will be same as the financial year.

3. New definition h(a) for regulation 2: Definitions & Interpretations

New definition h)(a) shall be added after definition 2.1(h) of the Principal regulations, namely:-

h)(a) "Green energy" means the electrical energy from renewable sources of energy including hydro and storage (if the storage uses renewable energy) or any other technology as may be notified by the Government of India from time to time and shall also include any mechanism that utilises green energy to replace fossil fuels including production of green hydrogen or green ammonia as per provision of clause G of sub-rule (2) of rule 4 of Green Energy Open Access Rules, 2022.

4. New Sub regulation 7.3 for regulation 7

New sub regulation 7.3 shall be added for regulation 7 of the Principal regulations, namely:-

7.3 The distribution licensee shall give green certificate on yearly basis to the consumers, captive users and other distribution licensees for the green energy supplied by the licensee to consumers, captive users and other distribution licensees respectively on their request beyond the renewable purchase obligation of the respective entities.

5. New Sub regulation 7.4 for regulation 7

New sub regulation 7.4 shall be added for regulation 7 of the Principal regulations, namely:-

Any consumer having contract demand or sanctioned load of 100 kW or more either through single connection or through multiple connections aggregating 100 kW or more located in same electricity division of a distribution licensee, except for captive user(s), whether obligated or not may elect to generate, purchase and consume renewable energy as per their requirements by requisition from distribution licensee.

Notwithstanding anything contained in any code or regulations framed under the Electricity Act 2003, solar generating plants of installed capacity upto 500 kW shall be exempted from requirements of dedicated feeders and installation of RTU, main and check ABT meter. Also, all such solar generating plants coming under the KUSUM Scheme can install upto 2000 kW at 11 KV supply voltage and such solar plants shall be exempted from requirements of dedicated feeder connectivity and installation of RTU, main and check ABT meter.

- (a) Any consumer as specified in para 7.4 above except for captive user, whether obligated or not may elect to purchase green energy either upto a certain percentage of the consumption or its entire consumption and they may place a requisition for this with their distribution licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for solar and non-solar;
- (b) The consumer as specified in para 7.4 above except for captive user, may purchase on a voluntary basis, more renewable energy, than he is obligated to do and for ease of implementation, this may be in steps of twentyfive per cent and going uptohundred per cent;
- (c) The tariff for the green energy shall be determined separately by the Commission, which shall comprise of the average pooled power purchase cost of the renewable energy, cross-subsidy charges if any, and service charges covering the prudent cost of the distribution licensee for providing the green energy;
- (d) Any requisition for green energy from a distribution licensee shall be for a minimum period of one year;
- (e) The quantum of green energy shall be pre-specified for at least one year;

(f) The green energy purchased from distribution licensee or from renewable energy sources other than distribution licensee in excess of renewable purchase obligation of obligated entity in any financial year shall be considered for meeting the RPO for the next financial year by the obligated entity.

6. Substitution of first proviso of sub regulation a) of 18.2 of regulation 18

For first proviso of sub regulation a) of regulation 18.2 the CSERC DRE Regulations (First Amendment) 2021, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

Provided that the minimum size of distributed renewable energy system that has been set up upto 31st August 2023 under this arrangement shall be 500 kW. Further, maximum size of such remotely located distributed renewable energy system, seeking wheeling/transmission of energy to its captive load or open access consumers, which has been set up under this arrangement shall be two and half times (2.5 times) of the contracted demand or desired open access quantum from the licensee, as the case may be.

Further, that the minimum size of distributed renewable energy system for upcoming IDRES projects (other than IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier)under this arrangement shall be 100 kW either through single connection or through multiple connections aggregating 100 kW or more in same electricity division of distribution licensee. Also, there shall not be any capacity limit for installation of distributed renewable energy system, seeking wheeling/transmission of energy for its captive use or open access consumers.

7. Substitution of regulation 21 of the first amendment regulation

For regulation21of theCSERC DRE Regulations (First Amendment) 2021, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

21. Banking and Charges to be levied for Open Access

	Charges	IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.	Upcoming IDRES projects (other than IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.)
21.1	Transmission Charges	Nil for the entire useful life of the IDRES Projects.	Transmission charges shall be as specified in the tariff order applicable from time to time.
21.2	Wheeling Charges	Nil for the entire useful life of the IDRES Projects.	Wheeling charges shall be as specified in the tariff order applicable from time to time.
21.3	Cross Subsidy Surcharges	Nil for the entire useful life of the IDRES Projects.	As specified in the tariff order applicable from time to time. Green energy open access consumer purchasing green energy, from a generating plant using renewable energy sources shall not be increased, during 12 years from date of operating of generating plant using renewable energy sources.
21.4	Fees and Charges of SLDC	Nil for the entire useful life of the IDRES Projects.	As specified in the tariff order applicable from time to time.
21.5	Standby Charges	As specified in the applicable tariff order.	125% of the energy charges applicable to the consumer tariff category as specified in the tariff order.
21.6	Banking and Banking Charges	 Banking facility will be available for useful life period of the project. 	Banking facility will be available for useful life period of the project.
		ii. Banking of 100% of energy injection, after netting the generation with in-house auxiliary requirement, shall be permitted for all captive and open access consumption.	ii. Banking shall be permitted at least on monthly basis on payment of charges to compensate additional cost for all captive and open access consumption. Permitted quantum of banked energy by the green energy open access consumers shall be at least 30% of the total monthly consumption

Charges	IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.	Upcoming IDRES projects (other than IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.)
		of electricity from the distribution licensee by the consumers. Provided that the credit for the banked energy shall not be permitted to be carried forward to subsequent banking cycles and shall be adjusted during the same banking cycle.
	iii. Banking charges @ 2% of banked energy shall be payable in kind. The banking year shall be from April to March.	iii. Banking charges @ 2% of banked energy shall be payable in kind. The banking year shall be from April to March.
	iv. Banked units redeemed during normal period (5 am to 6 pm or as specified in the applicable Tariff Order) and off-peak load period (11 pm to 5 am next day or as specified in the applicable Tariff Order) shall not have any withdrawal charges. Banked energy redeemed during evening peak load period (6 pm to 11 pm or as specified in the applicable Tariff Order) shall attract peak withdrawal charges in kind, which shall be 30% of energy drawn during the peak load hrs.	iv. Banked units redeemed during normal period (5 am to 6 pm or as specified in the applicable Tariff Order) and off-peak load period (11 pm to 5 am next day or as specified in the applicable Tariff Order) shall not have any withdrawal charges. Banked energy redeemed during evening peak load period (6 pm to 11 pm or as specified in the applicable Tariff Order) shall attract peak withdrawal charges in kind, which shall be 30% of energy drawn during the peak load hrs.
	v. For captive use/ third party sale, energy injected into the grid from the date of synchronization till the open access approval date will be considered as deemed energy banked. For the purpose of this provision, the date of synchronization shall be considered as date of commercial operation (COD).	v. For captive use/ third party sale, energy injected into the grid from the date of synchronization till the open access approval date will be considered as deemed energy banked. For the purpose of this provision, the date of synchronization shall be considered as date of commercial operation (COD).
	vi. The unutilized banked energy/surplus energy, if any, at the end of financial year shall be purchased by distribution licensee at lowest rooftop solar tariff discovered through competitive bidding undertaken by distribution licensee in the last financial year. If such tariff is not available, lowest tariffthroughcompetitive bidding undertaken by SECI in last financial year shall be considered.	vi. The unutilized banked energy/ surplus energy, if any, at the end of each banking cycle shall be considered lapsed and energy generating station shall be entitled to get renewable energy certificates to the extent of lapsed energy.
	vii. For Sale to distribution licensee, energy injected into	vii. For Sale to distribution licensee, energy injected into the gridfrom date of

	Charges	IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.	Upcoming IDRES projects (other than IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.)
		the gridfrom date of synchronization to Commercial Operation Date (COD) will be purchased by the distribution licensee at the first year tariff of the project, as per the provisions of the PPA with distribution licensee.	synchronization to Commercial Operation Date (COD) will be purchased by the distribution licensee at the first year tariff of the project, as per the provisions of the PPA with distribution licensee.
21.7	Deviation Settlement Charges	i. All solar power projects shall be awarded must-run status i.e., injection from the solar power projects shall be considered as deemed to be scheduled.	 i. All solar power projects shall be awarded must-run status i.e., injection from the solar power projects shall be considered as deemed to be scheduled.
		ii. Notwithstanding anything contained in any regulation framed under the Electricity Act 2003, all IDRES projects shall not be subjected to scheduling and deviation settlement for commercial purpose. However, for grid operations scheduling shall be applicable.	ii. Notwithstanding anything contained in any regulation framed under the Electricity Act 2003, all IDRES projects shall not be subjected to scheduling and deviation settlement for commercial purpose. However, for grid operations scheduling shall be applicable.
21.8	Additional Surcharge	Nil	It will not be applicable for green energy open access consumers if fixed charges are being paid by such a consumer.

- 21.9 CSPDCL will be the nodal agency to monitor and display of solar capacity addition. This information will be displayed in CSPDCL in its portal. Status of capacity addition of solar projects will be updated fortnightly.
- 21.10 These provisions for IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier, shall be applicable for billing cycle starting September 01, 2023.
- 21.11 Order dated 18.04.2022 issued in P No. 61 of 2020 shall only be applicable for IDRES projects for first 500 MW or projects which have achieved COD by 27.12.2023, whichever is earlier.

By the Order of the Commission

Sd/-

(S. P. Shukla) Secretary.